



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्वक्शन” के क्रम में मारपीट व छेड़छाड़ करने की घटना कारित करने के आरोपी कर्ण व दीपक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 04 वर्ष के कठोर कारावास व 6000 अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.कर्ण पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत व 2.दीपक पुत्र विजयपाल निवासी कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ द्वारा मारपीट व छेड़छाड़ करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 247/2019 धारा 323/354/354डी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्वक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.10.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कर्ण व दीपक को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 04 वर्ष के कठोर का कारावास व 6000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री पप्पू सिंह डैनुआ प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

@baghpatpolice



श्री नरेश कुमार विशेष लोक अभियोजक



नि0 श्री चन्द्रवीर सिंह विवेचक

baghpatpolice



है0का0 रवि कुमार कोर्टपैराकार

Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनांक 16.10.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 129/26 धारा 140(3)/103(1)/238ए/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तों की निशांदेही पर मृतक (अजय यादव) का एक मोबाइल फोन टूटा हुआ रियल मी 02 सिम किया बरामदा

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 129/26 धारा 140(3)/103(1)/238ए/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तगण की निशांदेही पर मृतक (अजय यादव का) एक मोबाइल फोन टूटा हुआ रियल मी कम्पनी मय 02 सिम बरामद हुई है।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अमित उर्फ पालू पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम पूरनपुर नबादा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2. लवदीप उर्फ कल्लू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम गढीकलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक मोबाइल फोन टूटा हुआ रियल मी कम्पनी मय 02 सिम

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री रामचन्द्र सिंह थाना चांदीनगर ।
- 2-उ०नि० श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर ।
- 3-है०का० 617 भरत सिंह थाना चांदीनगर ।
- 4-है०का० 462 अमित कुमार भाटी थाना चांदीनगर ।
- 5.है०का० 525 दीपक भाटी थाना चांदीनगर ।
- 6.का० 209 मनीष कुमार थाना चांदीनगर ।
- 7.का० 60 रवि सिंह थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.10.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 507/26

धारा191(2)/191(3)/190/196/115(2)/109(1)/132/121/352/ व

351(2)/324(4)/61(2) बीएनएस व धारा 7 सीएल ए एक्ट से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण— दिनांक

04.08.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरचन्दपुर में दो पक्षों जिनमें प्रथम पक्ष 1. वेदप्रकाश पुत्र कालूराम, 2. अंकित पुत्र वेदप्रकाश, 3. गौरव पुत्र वेदप्रकाश, 4. मिलिन्द पुत्र वेदप्रकाश, 5. देवानन्द पुत्र वेदप्रकाश, 6.



आंचल पुत्र वेदप्रकाश व 7 अभिषेक पुत्र वेदप्रकाश व द्वितीय पक्ष 1 मोहन पुत्र दयाराम 2

रोहित पुत्र मोहन, 3. अमन पुत्र मोहन, 4. सुशील पुत्र रमेश, 5. निखिल पुत्र मोहन, 6. अजीत पुत्र ओमी व 7. गगन पुत्र देवकरण, समस्त निवासीगण ग्राम हरचन्दपुर, थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत तथा 10-15 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपस में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर बरसाए गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा लोगों में भय व्याप्त हो गया। इसके उपरान्त दोनों पक्षों के लोगों द्वारा उत्तेजित होकर एकराय होकर पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों एवं ईंट-पत्थरों से हमला किया गया। प्रकरण के सम्बंध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 507/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 196, 115(2), 109(1), 132, 121, 352, 351(2), 324(4), 61(2) बीएनएस एवं धारा 7 सीएल एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 15-10-2026 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 507/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 196, 115(2), 109(1), 132, 121, 352, 351(2), 324(4), 61(2) बीएनएस एवं धारा 7 सीएल एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. निखिल पुत्र मोहन निवासी हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2. सुशील पुत्र रमेश निवासी हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3. अजीत पुत्र ओमी निवासी हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
4. गगन पुत्र देवकरण निवासी हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2. का0 1130 सोनू कुमार, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3. का0 388 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
4. का0 307 पवन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 16.10.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर के बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 316/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इन्तजार उर्फ सोनू पुत्र रहीसू निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र- 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

● 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री महेन्द्र शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत
3. रि० का० 263 यतेन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत ।

